		1						
ओ0 57 (ख) (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) O.(57)(b) (Survey of India)		मांग—पत्रों को दो प्रतियों में भेजने की आवश्यकता नहीं है Il	NDENTS IN DUPLI	CATE ARE NOT REQUIRED				
O.(57)(b) (Survey of fildia)	"प्रतिबं	धित'' प्रकाशनों या सामग्री के लिए मांग पत्र सं० तारीख						
11	NDENT NO	Dated, For "RESTRICTED" PUBLIC	ATIONS OR DATA	1				
नोट : 1. ''प्रतिबंधित'' प्रकाशन / सामग्री सामान्यतः केवल सरकारी अधिकारियों या स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के अधिकारियों को, सरकारी कामों के लिए, आवश्यकता पड़ने पर दिए जाएगें / दी जाएगी । मांग—पत्र निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा / निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को भेजे जाने चाहिए ।								
NOTES: "Restricted" publications/data will normally only be issued to officers in Government Service and officials in local and administrative bodies when required by them for the execution of their								
official duties. Indents should be sent to the Director, Geodetic and Research Branch/ Director, Map Archive and Dissemination Centre, Survey of India, Dehra Dun.  2. प्रतिबंधित क्षेत्र का ऊचाई डाटा सभी सरकारी संस्थानों हेत् "Observed accuracy" पर फार्म O.57 (b) भरकर निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून से प्राप्त किया जा सकता है।								
Height data of Restricted Areas can be made available with "Observed accuracy" to all Govt. Organizations on submission of form 0.57 (b) to the Director, Geodetic and Research Branch Survey of India, Dehra Dun.								
3. प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए ओ.एस.एम. मानचित्रों की Contour layer, ऊंचाई सहित का अंकीय डाटा रक्षा मंत्रालय की अनापित्त प्राप्त करने के पश्चात फार्म O.57 (b) भरकर, सभी सरकारी / गैर सरकारी / प्राइवेट मांगकर्ताओं को भेजे जा सकते हैं । मांगप								
	ोफार्मा 'ए' यानि (अंकीय उत्पाद इंडेंट फार्म)  के साथ  निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को भेजे जाने चाहिए।							
Open Series Map falling in Restricted ze	ones having contou	ir layer with heights in digital formats can be made available	to all indentors irres	pective of Govt. /Non-Govt./Private indentors on				
submission of form O.57 (b) along with security clearance from MoD. Indents should be sent to the Director, Map Archive and Dissemination Centre, Survey of India, Dehra Dun along with the prescribed								
proforma Form 'A' i.e. (Digital Products Indent for	rm)							
प्रकाशन का नाम या आवश्यक सामग्री का ब्यौरा	आवश्यक प्रतियों	प्रेषण की हिदायतें	किस काम के	अदायगी की हिदायतें				
Title of Publication or details of data	की संख्या	INSTRUCTIONS FOR DESPATCH	लिए चाहिए	Instructions For Payment				
required		(1) उस अधिकारी का नाम या पद और पूरा पता जिसे यह प्रकाशन / सामग्री	For what	जो ब्योरे लागू न हो उन्हें काट दीजिए ।				
	Copies	भेजने / भेजनी हो ।	required	Strike out details which do not apply.				
	required	the name or designation and the FULL address of the		भुगतान नकद, मनीआर्डर या रेखांकित बैक ड्राफ्ट द्वारा किया				

जिए । ot apply. डाफ्ट द्वीरा किया officer to whom these publications/data are to be sent. जा सकता है । (Purpose) क्या वे डाक या यात्री गाडी या माल गाडी से भेजने हैं। Payment may be made by Cash, Money If they are to be sent by post or by passenger train or by Order or by Crossed Demand Draft. goods train. (शब्द संक्षेप में न दीजिए इससे केवल गलतियां होती है।) (Do not give abbreviations which only lead to mistakes) अनुमोदित APPROVED

पद Designation नाम Name \_पद Designation \_

अनुमोदित करने वाले अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर Countersignature of approving authority

मांग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Indenting Officer

"प्रतिबंधित" प्रकाशनों / डाटा के मांग पत्रों पर प्रति–हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची इस फार्म के पीछे अनुच्छेद 1 में दी गई है । निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/ निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र किसी भी "प्रतिबंधित" प्रकाशन सामग्री को तब तक नहीं दे सकते जब तक कि मांग पत्र पर उचित प्रति–हस्ताक्षर न हों ।

A list of officials authorized to countersign indents for "Restricted" publications data is given in para 1 on the back of this form. The Director, Geodetic and Research Branch/ Director, Map Archive & Dissemination Centre, is not Permitted to issue any "Restricted" publications/data unless the indent is properly countersigned.

## प्रमाण-पत्र 'अ' CERTIFICATE 'A'

<del></del>	मुझे अर्थात————————————————————————————————————
अधीन——	के द्वारा बेचे गये हैं और में इन शतों का पालन करने का वचन देता हूँ । I, के द्वारा बेचे गये हैं और में इन शतों का पालन करने का वचन देता हूँ ।
	of the under mentioned "Restricted" Publications/Data is subject to following
conditi	ons which I hereby undertake to observe.
i.	प्रकाशनों / सामग्री अति गोपनीय समझें जायेंगे। मैं इस बात की भी सावधानी रखूंगा कि वो खो न जायें और न ही अनाधिकृत व्यक्ति उन्हें देख सकेंं।
	The Publications/Data will be treated as very confidential and I will take every reasonable precaution to prevent their being lost or being seen by or afforded access to in any manner to unauthorized persons.
ii.	मैं समझता हूँ की जो "प्रतिबंधित" प्रकाशनों / सामग्री मुझे इस विश्वास के साथ सरकारी व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सौंपे गयें हैं और प्रकाशनों / सामग्री की उचित सुरक्षा की सावधानी न रखने पर मैं दोषी हूंगा । जो की इस नियम के आधीन 5(1) के (डी0) के सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 में अंकित हैं मैंने जो उपलब्ध सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत है पढ़ लिया है और मैं समझ गया हूं और इस नियम के अन्तर्गत इन प्रकाशनों / सामग्री की अभिरक्षा, प्रयोग और इनकी सूचना संचार व्यवस्था के प्रति जो गोपनीयता मुझे सौंपी गई है उसे मैं पूरी तरह समझता हूँ । मैंने यह भी समझ लिया है कि अपराधी होने पर मैं अपने आपको न केवल स्वेच्छा से वरन साधारण असावधानी होने पर भी मैं अपने आपको न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा ।  I understand that the Restricted Publications/Data have been entrusted in confidence to me by a person holding office under Government and in the event of my failure to take reasonable care of, or so conducting myself as to endanger the safety of the Publications/Data, I shall be guilty of an offence under Section 5 (1)(d) of the Official Secret Act, 1923. I have carefully read and understood the other provisions of the Official Secret Act, 1923 and fully understand the duty imposed upon me by the Act, in respect of the custody, use and communication of the information contained in the said Publications/Data entrusted in confidence to me. I have also understood that I would expose myself to criminal liability not only in the case of an intentional or willful act but also on arising out of my recklessness or ordinary negligence.
iii.	किसी भी प्रकाशनों / सामग्री की आंशिक या पूरी प्रति फोटोग्राफी या अन्य साधनों से पुनरूत्पादित नहीं की जायेंगी । No Publications/Data will be reproduced in part, or in whole, either by photography or by any other means.
iv.	जो प्रतिबंधित प्रकाशनों /सामग्री मुझे दिये गये हैं मैं उनका ठीक लेखा जोखा और उनकी सामाजिक वस्तुगत पड़ताल करूंगा, मैं एक वार्षिक प्रमाण-पत्र भारतीय सर्वेक्षण (निर्गम का स्थान)/मुख्य सचिव (राज्य का नाम/संध क्षेत्र) सरकार को उत्त दिसम्बर को प्रतिवर्ष भेजूगां जो कि प्रतिबंधित प्रकाशनों /सामग्री मुझे दिये गये हैं उनकी वस्तुगत पड़ताल कर ली गई है इनके बारे में जो क्षित हो उनके अनुदेश मद (vi) में नीचे दिये गये हैं ।  I will maintain a proper record of all the restricted Publications/Data issued to me and undertake to periodically check these physically, I will furnish an annual certificate to the Survey of India (place of issue)/Chief Secretary to the Government of (Name of State/Union Territory) on the 31 <sup>st</sup> December every year to the effect that all restricted Publications/Data issued to me have been physically accounted for an losses if any, reported in accordance with the instructions in item (vi) below.
V.	मैं प्रकाशनों/सामग्री निर्गम की गई तारीख से लगभग———————————————————————————————————
vi.	प्रकाशनों / सामग्री के खो जाने पर मैं शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और उच्च विभागीय अधिकारी————————————————————————————————————
* एकाषान	

For Publications/Data the issue of which is authorized by officers of the State Govt./Union Territory. प्रकाशनों / सामग्री के निर्गम के लिए अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकारी है ।

	I will immediately reports the loss to the Ministry of Defence, New Delhi and also to the Head of the Department/Ministry (Name)/Chief Secretary to the Government of (Name of State)/Union Territory/nearest Police Station and the Chief Secretary to the Government of (Name of State/Union Territory) and the Survey of India for investigation and report to the Ministry of Defence. I have understood that the loss of the Restricted Publications/Data may amount to an offence under the Official Secret Act and that I am legally bound to give information about the offence immediately upon receiving knowledge about the loss of the said Publications/Data. I have also understood that failure to report about the loss would render me liable for prosecution under Section 202 of the Indian Penal Code.					
vii.	मैं यह भी वचन देता हूँ कि प्रकाशनों / सामग्री को बिना रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमित के विदेशों को निर्यात नहीं करूंगा जैसा कि वित्त मंत्रालय के अनिनियम 118 सी.यू.एस.एस-एफ संख्या 215-62 सी०यू०एस०- I/VIII दिनांक 4.5.1963 में अनुदेश है ।  I also undertake not to export Publications/Data abroad without the prior approval of the Ministry of					
	Defence and in accordance with the instructions in Govt. of India, Ministry of Finance Notifications No.118-CUSS-F No.215-62-CUS-I-I/VIII dated 4.5.1963.					
	स्थान Place	हस्ताक्षर Signature				
	तारीख Date	पता Address				
		प्रमाण पत्र 'ब' CERTIFICATE 'B'				
(То	• •	शिक्षण वैज्ञानिक संस्थाओं और दूसरे अर्घ / सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण होना चाहिए) 1/Scientific Institutions and other semi-Government Organisations in addition)				
दिनांक 2	5.08.1967 में है) स्वीकार करता हूँ और !					
Minist	I,	(Name in block letters) also agree to the following conditions [vide /)/64/D (GS III) 25.8.67] and certify that :-				
i.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	चाहिए । ired for (state purpose)				
ii.		येंगे और क्षति से रोकने के लिए हर एक सावधानी रखनी होगी । be treated as confidential and will take every precaution to prevent their being				
iii.	जायेगी । यह अधिकारी यह भी विश्वास दिलायेग The Publications/Data will Organisation concerned in	के उच्च पदाधिकारियों के दायित्व में सुरक्षा में रखें जायेंगे और समय समय पर उनकी भौतिक जॉच की ा कि ये प्रकाशनों / सामग्री किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा देखें या प्रयोग नहीं किये गये । be kept by a responsible officer designated by the Head of the institutions of safe custody and physically checked from time to time. This officer will also /Data are not seen or handled by unauthorized persons.				
iv.	प्रकाशनों / सामग्री, जबिक अध्ययन दल द्वारा मांगे गये हों, वे नेता के निरीक्षण में (साधारणतः भारतीय राष्ट्रीय या एक संस्था / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय संगठन या अधिकारी हो) जो कि इस बात का उत्तरदायी होगा कि ये प्रकाशनों / सामग्री उचित हाथों में जायें और जब आवश्यकता न रहें तो इन्हें संस्था / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय संगठन को वापिस कर दिया जाये । Publications/Data, when required by excursion parties, are given in charge of the leader (normally to be an Indian national and an officer of the Institute/University/College/School Organisation/ who will be responsible for the correct handling of the Publications/Data and for handling them back to the Institute/University/College/School Organisation, when no longer required for the purpose.					
v.	सुनिश्चित करेंगे कि जो नियम बनें हैं The authorized of the Instit	विद्यालय / संगठन के प्राधिकारी हर समय प्रकाशनों / सामग्री की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और वे उनका पालन हो रहा है। tute/University/College/School Organisation will be responsible at all times for ns/Data and to ensure that the rules made are being duly observed.				
	स्थान Place	हस्ताक्षर Signature				
	तारीख Date	पता Address				
		सामग्री निर्गम कार्यालय उन ''प्रतिबंधित'' प्रकाशनों / सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा के कार्मिक प्रमाण–पत्र प्राप्त ष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि केन्द्रीय सरकार के अधिकृत है। उन स्थितियों में जहाँ प्रतिहस्ताक्षर करने				

वाला सक्षम अधिकारी राज्य सरकार का कोई अधिकारी हो या राज्य सरकार के विभाग का प्रधान हो वहाँ प्रतिबंधित प्रकाशनों/सामग्री के वार्षिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और उन्हें मांगने तथा विनष्ट करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ क्षेत्र के मुख्य सचिव पर होगी ।

The Survey of India restricted publications/data issue offices are responsible for obtaining the annual certificate of safe custody, for recall and destruction of restricted publications/date after use] for all issues authorized by the Central Government. In cases where the competent countersigning authority is an officer of the State Government or the Head of State Government Department, the responsibility for obtaining the annual certificate and for recall and destruction of restricted publications/data has been entrusted to the Chief Secretary of State/Union Territory concerned.

- In the case of Central Government Offices and Undertakings.
- \*\* In the case of State Government Offices and Undertakings.
- In the case of private indentors.

## प्रतिबंधित प्रकाशनों / सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा का वार्षिक प्रमाण पत्र ।

## ANNUAL CERTIFICATES OF SAFE CUSTODY OF RESTRICTED PUBLICATIONS/DATA

(प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए) (To be submitted by  $31^{\rm st}$  December every year)

द्वारा निर्गम Issued by	बीजक सं0 और तारीख Bill No. & Date	प्रकाशनों का ब्यौरा Details of Publications	प्रतियों की संख्या No. of Copies	निर्गम के लिए अवधि Period for which issued	कैफियत Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक, ज्योडीय एवं	· · ·	` ,		, ,	
अनुसंधान शाखा/ मानचित्र					
अभिलेख एवं प्रसार केन्द,					
भारतीय सर्वेक्षण विभाग					
देहरादून (उत्तराखण्ड)					
Director Geodetic &					
Research Branch/Map					
Archive &					
Dissemination Centre					
Survey of India Dehra					
Dun (Uttarakhand)					

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित "प्रतिबंधित" प्रकाशनों / सामग्री की जॉच की गई है । और वे सुरक्षित अभिरक्षा में है । मैं यह निश्चित कर रहा हूँ कि उन की सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जाय ।

Certified that the "Restricted" Publications/Data Detailed above have been checked and are in the safe custody. Proper Precautions for their security are being ensured by me.

सेवा में, निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा /मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून (उत्तराखण्ड)

(प्रकाशनों / सामग्री रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

1. सरकारी काम के लिए अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालयों और अधीन अधिकारियों के लिए आवश्यक "प्रतिबंधित" मानचित्रों के मांग-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत सिविल सरकारी अधिकारियों की सूची ।

LIST OF CIVIL GOVERNMENT OFFICERS AUTHORISED TO COUNTERSIGN INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS WHEN REQUIRED BY OFFICES AND OFFICERS UNDER THEIR CONTROL FOR THE EXECUTION OF THEIR OFFICIAL DUTIES.

- (I) भारत सरकार के अवर सचिव के पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी ।
  All officers of the rank of Under Secretaries to the Government of India and above.
- (II) भारत सरकार के संबंद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन पब्लिक सेक्टर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । Heads and Deputy Heads of attached, subordinate Departments of the Government of India and Public Sector Units under Central & State Govt.
- (III) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उपनिदेशक तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी ।
  Deputy Directors and above of the Survey of India.
- (IV) राज्य सरकारों के उप सचिव के पद के अधिकारी तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी, उनसे संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम इंकाईयों के अध्यक्ष शामिल हैं ।

  All officers of the rank of Deputy Secretary to State Governments and above, including Heads of
- their attached, subordinate Departments and Public Sector Units under them.

  (V) भारत के सिविल प्रभागों और जिलों के प्रभारी किमश्नर और उप किमश्नर और कलक्टर और नार्थ-ईस्ट एजेंसी के राजनीतिक अधिकारी ।

Commissioners and Deputy Commissioners and Collectors-in-charge of Civil Divisions and Districts in India and Political officers of the North-East Frontier Agency.

- (VI) विदेशों में भारत सरकार के सभी राजनयिक प्रतिनिधि । All diplomatic representatives of the Govt. of India abroad.
- (VII) भारत के सभी राज्यों के पुलिस उप किमश्नर ।
  Deputy Commissioners of Police of all State Govt. of Indian Territory.
- (VIII) राज्य सरकारों के हेडक्वाटरों के सहायक महानिरीक्षक पुलिस ।
  Assistant Inspector General of Police at Headquarters of state Govternments.
- (IX) खुफिया पुलिस विभाग और या राज्य सरकार के गुप्तवार्ता शाखा के पुलिस उप महानिरीक्षक ।

  Deputy Inspector-General of Police, Criminal Investigation Department and/or Intelligence Branch of State Governments.
- (X) भारत के सभी राज्यों के अरण्यपाल, अपने सर्किल के प्रतिबन्धित डाटा के लिये ।

  Conservators of forests, of all States of Indian Territory, in respect of restricted data of their Circles.
- (XI) मुख्य/उप जल सर्वेक्षक और भारत के मुख्य सहायक सिविल जल सर्वेक्षक अधिकारी, देहरादून ।
  The Chief/Deputy Hydrographer and the Asst. Chief Civil Hydrographic Officer, Govt. of India, Dehra Dun.
- (XII) राज्य सरकारों के सभी अधीक्षक अभियन्ता । All Superintending Engineers of State Govt. Department.
- (XIII) निदेशक, भारतीय दूतावास, नेपाल, काठमाडू । Director, Indian Aid Mission, Nepal, Katmandu.
- (XIV) सभी निदेशक / उप निदेशक या उप महानिदेशक, पैरा मिलिट्री फोर्स जैसे; सी.आर.पी, आई.टी.बी.पी, सी.आई.एस.एफ, आसाम राइफल्स, बी.एस.एफ और एस.एस.बी ।

All Directors/Deputy Directors or Deputy Inspector Generals of Paramilitary Forces i.e. CRPF, ITBP, CISF, Assam Rifles, BSF and SSB.

- (XV) कें 0 लो 0 नि 0 वि 0 के सभी अधीक्षक अभियन्ता । All Superintending Engineers in C.P.W.D.
- (XVI) संघ लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव से नीचे के अधिकारी न हो ।
  Officers not below the rank of Under Secretary to the Union Public Service Commission.
- (XVII) मुख्य /उप चुनाव आयुक्त, सचिव, व अवर सचिव, चुनाव आयोग । Chief/ Deputy Election Commissioner, Secretary and Under Secretaries Election Commission.
- (XVIII) सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकार व उप पंजीकार । Registrar and Deputy Registrar of Supreme Court of India.
- (XIX) राष्ट्रपति के सैनिक सचिव/उप सैनिक सचिव और अवर सचिव । Military Secretary/Deputy Military Secretary and Under Secretary to the President.
- (XX) प्रधान मंत्री के मुख्य व्यक्तिगत सचिव और (प्रशासकीय, सार्वजनिक, निजी) व्यक्तिगत सचिव । Principal Private Secretary and Private Secretaries (Admn. Public Personal) to the Prime Minister.
- (XXI) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और सहायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (व्यक्तिगत) ।
  Accountant General Central Revenues and the Assistant Comptroller and Auditor General (Personal).
- (XXII) मानचित्र उत्पादन प्रखण्ड, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के निदेशक/अधीक्षों भूविज्ञानी प्रभारी ।
  Directors/Superintending Geologist- In-Charge of the Map Production Division, Geological Survey of India.

(XXIV) उच्च एवं उप शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय ।

Deputy Educational Advisors and above, Ministry of Education.

(XXV) भूगर्भ के निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ।

Director of Geology, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC).

(XXVI) प्रधान खण्ड, परमाणु शक्ति स्थापना, ट्रोम्बे, इसरो और आई.आई.आर.एस ।

Divisional Head, Atomic Energy Establishment, Tromby, ISRO and IIRS.

(XXVII) उच्च एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता ।

Assistant Librarian and above, National Library, Kolkata.

(XXVIII) वरिष्ठ विशेषज्ञ, भूमि साधन, योजना आयोग, नई दिल्ली ।

Senior Specialist, Land Resources, Planning Commission, New Delhi.

(XXIX) महानिदेशक, एवं सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघान परिषद ।

Director General and Secretaries, Council of Scientific and Industrial Research.

(XXX) उप कुलपति, सेन्ट्रल और स्टेट यूनिर्वसिटी ।

Vice Chancellor of Central and State Universities.

(XXXI) राज्य सरकारों के सभी पतनाधिकारी ।

The state Port officer of all state.

(XXXII) सभी राज्यों के महानिदेंशक / निर्देशक एन.एस.सी.

The Director General /Director N.C.C. of all states.

(XXXIII) वरिष्ठ समुद्रीय सर्वेक्षक सर्वेक्षण एवं निकर्षण संस्था बम्बई ।

The Senior Marine Survey Survey, of Dredging Organisation, Bombay.

(XXXIV) महानिर्देशक / वैज्ञानिक परिषद के सचिव एवं औद्योगिक अनुसंघान सी.एस.आई एवं वैज्ञानिक संस्था एवं प्रयोगशालाओं के आधीन ।
The Director General /Secretary Concil of Scientific & Industrial Research C.S.I.R and the Scientific Institution and laboratories under it.

(XXXV) मुख्य भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, भारत सरकार ।

The Chief Soil Survey Officer.

(XXXVI) त्रिपुरा/अगरतला सरकार के भू-व्यवस्था अधिकारी ।

The Settlement Officer, Govt. of Tripura Agartala.

(XXXVII) आकल्प एवं समुद्रीय कार्य के अधीक्षक अभियन्ता, चेपूक मद्रास ।

The Superintending Engineer, Designs & Marine Works Chepauk, Madras.

(XXXVIII) केन्द्रीय भू-जल मण्डली के निर्देशक ।

The Directors, Central Ground Water Board.

(XXXIX) कें o लोo निo विo के सभी अधीक्षक अभियन्ता ।

The Superintending Engineers in C.P.W. D.

2. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्गम के लिये राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों को अधिभार दिया है कि वे शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं दूसरे अर्ध—सरकारी संगठनों के वास्तविक कार्यो (स्पष्ट संकेत दें) जिनको रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0—7 (7)/64/डी० (जी० एस0— III) तारीख 25.08.1967 के पैरा 3 में उल्लेख है। यह शर्त अर्ध—सरकारी संगठनों जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से सम्बन्धित विभागों/राज्य सरकारों को कुछ नियंत्रण है, पूरा करती है। इन दशाओं में मांग—पत्र पर भारत सरकार के उप सचिव के पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी या सचिव राज्य सरकार के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

Powers are delegated to State Governments, concerned Ministries and Departments of the Central Government to authorize the issue of Restricted maps to Educational and Scientific Institutions and to other semi-Government Organisations for bonafide purpose (to be clearly indicated) subject to the conditions laid down in para 3 of the Ministry of Defence letter No.F-7(7)/64/D (GS-III) datd 25.8.1967. The term other semi-Government Organisations would cover those on which the Ministry/Department concerned of the Central Government/State Government has some control. The indents in such cases will be countersigned by an officer of the rank of Deputy Secretary to the Government of India or above or the Secretary to the State Government.

3. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्गम के लिये व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों से रक्षा मंत्रालय का स्पष्टी पत्र आना आवश्यक है । इनके मांग पत्रों पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने से पूर्व राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद या इनसे ऊपर के सभी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए ।

Clearance of the Ministry of Defence is essential for the issue of Restricted maps to private individuals, organizations and commercial firms. Indents for these should be countersigned by an officer of the rank of Joint Secretary or above in the State Governments before they are referred to Ministry of Defence for obtaining clearance.

4. व्यक्तियों, वाणिज्यक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा भारत की बाहरी सीमा के परे के मानचित्रों के लिये की गई मांग राज्य सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from individuals, commercial firms, etc. for Restricted maps covering area beyond external boundaries of India should be referred through the State Government to the Ministry of External Affairs.

5. भारत स्थित विदेशी दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों से ''प्रतिबन्धित'' मानचित्रों की मांग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from Foreign Embassies/Consulates in India for "Restricted" maps should be referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

6. भारत में आये हुए विदेशी यात्रियों द्वारा "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की मांग उनके भारत स्थित दूतावासों / वाणिजय दूतावासों द्वारा की जानी चाहिये और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from Foreign Expeditions to India for "Restricted" maps should be sponsored by their Embassies/Consulates in India and referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.